



ऑनलाइन एनओसी एण्ड अफिलिएशन सिस्टम ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

DR. BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, AGRA

AGRA-282004

सन्दर्भ संख्या: VERIFIALLAH/संब/12/2021

दिनांक: 24/08/2021

अस्थायी (पाठ्यक्रम अवधि) सम्बद्धता-आदेश

उक्त राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुमति एवं कार्यनियम की अनुमति (दिनांक: 24/08/2021) से R.P.M. DEGREE COLLEGE, KOTA ROAD, HATHRAS को PG स्तर पर

Course Name	Subject Name
1. MASTER OF ARTS (2021-2022)	ENGLISH LITERATURE
2. MASTER OF ARTS (2021-2022)	HISTORY
3. MASTER OF SCIENCE (2021-2022)	BOTANY
4. MASTER OF SCIENCE (2021-2022)	PHYSICS

पाठ्यक्रम में स्विकृतपोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01/07/2021 से आगामी 03 वर्षों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है-

- 1- संस्था/महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी में इंगित समस्त कमियों को एक माह में पूर्ण करते हुए परिनिधम 13.30 "The Executive Council may direct a college not to admit students to a particular class if the conditions laid down for starting the classes have, in the opinion of the Executive Council been disregarded by the college concerned. The classes may however be restarted with the prior permission of the Executive Council when the conditions are fulfilled to its satisfaction" की व्यवस्थानुसार सञ्चालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त की जाएगी।
- 2- यह सम्बद्धता आदेश कक्षा संचालन की अनुमति नहीं है। परिनिधम 13.30 की व्यवस्थानुसार कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात अध्यापन/अध्यापन कार्य सम्पन्न कराया जायेगा।
- 3- संस्था/महाविद्यालय शासनदेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(62)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशानिर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनदेशों का पालन करेगी।
- 4- सूची में जिन संस्था/महाविद्यालयों के शर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की संसुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा। कमियों की पूर्ति सुनिश्चित कर लेने की स्थिति से अलग करते हुए अनिर्दिष्ट रूप से माननीय कुतपति जी से कक्षा संचालन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों निरन्तर पूरी कर रहा है।
- 5- यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनिधमवाली/अधिनिधम में धर्जित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- 6- संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनिधमवाली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनदेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।